कार्यवृत्त

मंगलवार, 30 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 21 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड-26
अंक-7

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्नोत्तर काल के दौरान मो0 शहजाद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आज सदन में नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के सभी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री व माननीय सदस्य श्री शहजाद इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सदन को अवगत कराये।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि श्री किशोर उपाध्याय तथा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा टिहरी बांध के विस्थापितों की समस्याओं के सम्बन्ध में सांकेतिक धरना दिया गया है तथा अनुरोध किये जाने पर सभी कांग्रेस के सदस्य सदन में उपस्थित हो गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि टिहरी बांध निर्माण से प्रभावित एक क्षेत्र के विषय में श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा नियम-58 के अन्तर्गत सूचना दी गई है। यदि उनकी सूचना को ग्राह्यता पर सुना जाता है तो श्री किशोर उपाध्याय को भी सुन लिया जाए। इस पर श्री अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :-

1. हाजी तसलीम अहमद	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ांग के ग्राम सुल्तानपुर मौहल्ला दाब में मिदे वाली गली में व ग्राम किशनपुर के विद्युत तार जर्जर-जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र राकेश (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क में जंगली जानवरों से बचाव हेतु तार-बाड़ उरेड़ा के वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से लगवाने के सम्बन्ध में।
3. श्री शेर सिंह (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भारी वर्षा के कारण दो व्यक्तियों के नाले में बहने तथा बदियाकोट पिण्डारी सौंग, भराड़ी मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री तिलक राज बेहड़ ने "जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रूद्रपुर जिला मुख्यालय के किच्छा को पृथक कर रूद्रपुर को पृथक तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री कैलाश अग्रवाल, निवासी ए-105 आवास विकास, रूद्रपुर एवं अन्य निवासीगण जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 20 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 21 से दिनांक 24 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

<u>जुलाई, 2009</u>

<u>21 (मंगलवार)</u>

अनुदान संख्या	
27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
20	सिंचाई, एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।
15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
30	स्पेशन कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
31	ट्रायबल प्लान से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

<u>22 जुलाई, 2009 (बुधवार)</u>

13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
16	श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

<u>23 जुलाई, 2009 (गुरूवार)</u>

17	कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

<u>24 जुलाई, 2009 (शुक्रवार)</u>

01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-तदैव-
03	मंत्री परिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-तदैव-

अनुदान संख्या

04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।	- तदैव-
07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
21	ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।	--
23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	--
	उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।	

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत एक सूचना जो टिहरी बांध निर्माण से प्रभावित लोगों के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय की प्राप्त हुई है, इसी विषय पर नियम-58 के अन्तर्गत सूचना श्री बलवीर सिंह नेगी की प्राप्त हुई है। जिसे वे नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुई।

विश्वविद्यालय आयोग के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षकों के वेतनमान विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री करन माहरा तथा श्री मनोज तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार में सभी बी0पी0एल0 के पात्रों को राशन कार्ड एवं राशन न उपलब्ध किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, खाद्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ने विचार व्यक्त किए। खाद्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने पर बसपा के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

वर्ष, 2009-10 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा-9,10 व 12 की पुस्तकों के मुद्रण का कार्य टी0एन0एच0के0 पब्लिकेशन मेरठ को दिया गया था, फर्म द्वारा मुद्रण में भारी अनियमितताओं विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा राज्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

टिहरी बांध के निर्माण से प्रभावित लोगों की मांगों पर कार्यवाही न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह नेगी ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री किशोर उपाध्याय माननीय सदस्य द्वारा टिहरी निर्माण के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये गये श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि विषय व्यापक तथा अतिमहत्वपूर्ण है तथा सदस्य द्वारा चर्चा की मांग की गई है। अतः वे इसे नियम-54 के अन्तर्गत चर्चा हेतु स्वीकार करते हैं। इस पर समय एवं तिथि का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति करेगी।

पिटकुल द्वारा सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में 220 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन लगाने हेतु करोड़ों रूपयों के घोटाले किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं भी अस्वीकृत हुई।

काजी मो0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि बजट साहित्य 24 घण्टा पूर्व वितरित हो जाने चाहिए या बजट सामग्री वेबसाइट पर लोड कर दी जाय। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित कर यथा समय बजट साहित्य बांटे जाने की व्यवस्था की जायेगी।

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 27, वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2049448 हजार (दो सौ चार करोड़ चौरानवे लाख अड़तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-27 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा के भाषण के पश्चात् चर्चा भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 1 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत मांग की प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

काजी मो0 निजामुद्दीन,
श्री यशपाल बेनाम तथा
श्री चन्दन राम दास।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने उत्तर भाषण दिया।

वन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-27 के अधीन मांगी गयी धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया कि सभी विभागों का बजट साहित्य वेवसाइट gov.ua.nic.co.in पर लोड कर दिया गया है तथा इसकी सी0डी0 भी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 24, परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 432696 हजार (तैंतालीस करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री रणजीत सिंह रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

काजी मो0 निजामुद्दीन,
श्री खड़क सिंह बोहरा,
श्री अनिल नौटियाल तथा
श्रीमती अमृता रावत।

श्री रणजीत सिंह रावत ने उत्तर भाषण दिया।

परिवहन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री रणजीत सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-24 के अधीन मांगी गयी धनराशि स्वीकृत हुई।

नेता प्रतिपक्ष ने सूचना दी कि दिनांक 20 जुलाई, 2009 को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पुलिस द्वारा घेराव करने तथा कार्यालय में प्रवेश करने से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। कांग्रेस दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। तदुपरान्त नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस के सभी सदस्य 'वेल' में आकर जोर-जोर से अपनी-अपनी बात को कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षण कर इस घटना के विषय पर वक्तव्य आ जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो सूचना नेता प्रतिपक्ष द्वारा दी गई है। इसका परीक्षण कराकर सदन उठने से पूर्व इस विषय पर सरकार का वक्तव्य आ जायेगा।

सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 18, सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 161971 हजार (सोलह करोड़ उन्नीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मनोज तिवारी ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-18 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री शेर सिंह तथा
श्री महेन्द्र सिंह माहरा।

श्री मनोज तिवारी ने उत्तर भाषण दिया।

सहकारिता मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मनोज तिवारी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-18 के अधीन मांगी गयी धनराशि स्वीकृत हुई।

सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3600825 हजार (तीन सौ साठ करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री करन मेहरा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-20 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

चौ0 यशवीर सिंह,
श्री बलवीर सिंह नेगी,
श्री ओम गोपाल,
श्री गणेश जोशी,
श्री दिनेश अग्रवाल,
कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
श्री प्रेमचन्द अग्रवाल,
श्री सुरेन्द्र राकेश,
श्री राजेश जुवांठा,
श्रीमती अमृता रावत तथा
श्री तसलीम अहमद।

श्री करन मेहरा ने उत्तर भाषण दिया।

सिंचाई मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री करन मेहरा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-20 के अधीन मांगी गयी धनराशि स्वीकृत हुई।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2026741 हजार (दो सौ दो करोड़ सड़सठ लाख इकतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3674263 हजार (तीन सौ सड़सठ करोड़ बयालीस लाख तिरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 31, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 883855 हजार (अठ्ठासी करोड़ अड़तीस लाख पचपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री यशपाल आर्य ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-15,30 तथा अनुदान संख्या-31 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रूपया कर दी जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री हरिदास,
श्री चन्दन राम दास,
श्री राजेश जुवांठा,
श्री सुरेन्द्र राकेश,
श्री केदार सिंह रावत तथा
श्री गोपाल सिंह राणा।

श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री यशपाल आर्य ने उत्तर भाषण दिया।

समाज कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री यशपाल आर्य द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-15,30 तथा अनुदान संख्या-31 के अधीन मांगी गयी धनराशि स्वीकृत हुई।

श्री दिनेश अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि डी0जी0पी0 ने एक आदेश जारी किया कि मंत्रियों को गार्ड आँफ आनर नहीं मिलेगा। इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर जानकारी प्राप्त कर सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह स्पष्ट करते हुये कि घटना की तिथि दिनांक 20 जुलाई, 2009 के स्थान पर दिनांक 19 जुलाई, 2009 को है, प्रदेश कांग्रेस भवन में पुलिस द्वारा कथित प्रवेश के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य से सन्तुष्ट न होने पर कांग्रेस के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों के निरन्तर जलस्राव की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में दिनांक 15 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने **चर्चा आगे के लिए स्थगित की।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर, तहसील लक्सर के किसानों के सरकारी नलकूप एल0जी0-01 द्वारा फसलों को सही ढग से सिंचाई न होने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

उत्तराखण्ड के राजकीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों पर बी0एड0 की भांति रिक्त पदों पर बी0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को अभी तक नियुक्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

जनपद हरिद्वार के ग्रामों में फुंके (खराब पड़े) हुए ट्रान्सफार्मर को बदले जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लाक के सिकरोड़ा क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि एवं उद्यान मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 8 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।